(136)

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्या 1070/XVII–02/2011–10(10)/2007

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 19 सितम्बर,2011

विषयः राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी0) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी0) योजनान्तर्गत **अनुदान संख्या–15, 30 एवं 31 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि क्रमशः रू0 3771.57 लाख (रू0 सैंतीस करोड़ इकहत्तर लाख सत्तावन हजार मात्र), रू0 1636.65 लाख (रू0 सोलह करोड़ छत्तीस लाख पैंसठ हजार मात्र) एवं रू0 255.43 लाख (रू0 दो करोड़ पच्चपन लाख तैंतालीस हजार मात्र) अर्थात कुल रु0 5663.65 (रुपये छप्पन करोड़ तिरसठ लाख पैंसठ हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुये इसके सापेक्ष **रु0 1656.39 लाख (रु0 सोलह करोड़ छप्पन लाख उनचालीस हजार मात्र)** व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

व्यय की जाने वाली धनराशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के शासनादेश संख्या–44(6)PFI/2010–1230 दिनांक 10.02.2011, शासनादेश संख्या–44(8)PF-I/2011–64 दिनांक 29.04.2011 के द्वारा आवंटित धनराशि क्रमशः **रु0 1111.00 लाख, रु0 507.33 लाख** तथा शासनादेश संख्या–44(6)/पी0एफ01/2010–687 दिनांक 08.10.2010 द्वारा प्राप्त धनराशि में से शासन स्तर पर अवशेष रु0 38.06 लाख (जिसमें निदेशक समाज कल्याण द्वारा मार्च, 2011 में समर्पित की गई रु0 11.95 लाख की धनराशि भी सम्मिलित है) के अन्तर्गत ही स्वीकृत/समायोजित समझी जायेगी।

1. **उक्त आवंटित की जा रही धनराशि में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की धनराशि सम्मिलित है।**
2. **आवंटित की जा रही धनराशि का उक्त योजनाओं में आवश्यकता के अनुसार फांट कर जिलों को आवंटन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**
3. शेष धनराशि के व्यय की स्वीकृति भारत सरकार से उत्तरोत्तर किश्त प्राप्त हो जाने पर पृथक से समय–समय पर प्रदान की जायेगी। योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
4. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
5. उक्त आवंटित धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या–15, 30 एवं 31 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
7. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। **आवंटन एवं व्यय की स्थिति के साथ–साथ लाभान्वित हुये लाभार्थीयों की संख्या से प्रत्येक माह शासन को अवगत कराया जाए।**
8. यदि योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
10. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपर्युक्त निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
11. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में बजट प्राविधान से अधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह विलम्बतम 20 तारीख तक पूर्व तक व्यय बचत सचूना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **शेष धनराशि के सम्बन्ध में उत्तरोत्तर किश्त प्राप्त होने पर तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।**
12. नियंत्रणाधीन विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकार से कराया जाना सुनिश्चित करेंगें ।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 के ''आयोजनागत पक्ष'' में संलग्न विवरण में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।
15. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्याः–171(P)XXVII(3)2011–12 दिनांक 14 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्या : 1070/**XVII**–2/2011–बजट10(10)/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त विकलांगजन, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. उप सचिव (एन0एस0ए0पी0) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली।

शासनादेश संख्या :1070 /XVII–02/2011–10(10)/2007 दिनांक/9 सितम्बर, 2011 का संलग्नक–2

अनुदान संख्या–31 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : **2235–60–800–01–0101**
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
लघु शीर्षक : 800–अन्य व्यय
उप शीर्षक : 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें
ब्यौरेवार शीर्षक : 0101–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	25300
42–अन्य व्यय	243
योग	25543

(रू0 दो करोड़ पच्चपन लाख तैंतालीस हजार मात्र)

महायोग (आयोजनागत अनुदान संख्या 15, 30 व 31)	566365

(रूपये छप्पन करोड़ तिरसठ लाख पैंसठ हजार मात्र)

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव।